सहकारिता विभाग
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या–3

विनिश्चय प्रक्रिया पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम

निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड,

विवाद एंव उनका निपटारा

- सहकारी समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य तथा समिति के वेतन भोगी कर्मचारियों के विरूद्व की गई अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्व विवाद से भिन्न विवाद का निस्तारण हेतु मध्यस्थ/मध्यस्थ मण्ड़ल नियुक्ति की व्यवस्था ।
- समिति/वादी द्वारा भेजे जाने वाले निम्नांकित प्रपत्र –
- विवाद के निस्तारण या वसूली के सम्बन्घ में पूर्व में कृत कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण व साक्ष्य
- वाद प्रस्तुत करने हेतु लिये गये निर्णय की प्रति/प्रस्ताव ।
- प्रार्थना–पत्र ।
- विवाद से सम्बन्धित पुष्ट साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतियां ।
- लेखाशीर्षक "0425–सहकारिता–800–अन्य प्राप्तिया– 06–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां " के अन्तर्गत राजकीय कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक में जमा वाद शुल्क (मूल्यांकित धनराषि का 1 प्रतिशत) के जमा चालान की प्रति ।
- 2,00,000.00 रू0 तक के वाद जिला सहायक निबन्धक के अधिकारिता में ।
- 2,00,000.00 रू0 से 5,00,000.00 तक के वाद उप निबन्धक, सहकारिता के अधिकारिता में ।
- 5,00,000.00 रू0 से 10,00,000.00 तक के वाद संयुक्त निबन्धक के अधिकारिता में ।
- 10,00,000.00 रू0 से 15,00,000.00 अधिक के वाद अपर निबन्धक के अधिकारिता में ।
- 15,00,000.00 से अधिक निबन्धक के अधिकारिता में ।

सहकारी समितियों एवं सहकारिताओं का निबन्धन

(अ) उत्तराचंल सहकारी समिति अधिनियम 2003 के अर्न्तगत –

- निबन्धन हेतु कम से कम 10 व्यक्ति जो प्रस्तावित समिति के प्रारम्भिक सदस्य होगें ।
- गठन हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के सहकारी पर्यवेक्षक/सहायक विकास अधिकारी (सह0) आर्गनाईजर होगें ।
- निबन्धन हेतु निबन्धन प्रार्थना–पत्र एंव उपविधियां निर्धारित शुल्क 500.00 रू0 राजकीय कोषागार में जमा करने पर जिला सहायक निबन्धक के कार्यालय से प्राप्त होगें ।
- निबन्धन हेतु निम्नांकित प्रपत्र विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (सह0) के स्तर से जिला सहायक निबन्धक के माध्यम से निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड को प्रेषित किये जायेगें ।
- प्रस्तावित समिति के सदस्यो द्वारा की गयी बैठको की कार्यवृत्तियां ।
- निबन्धन प्रार्थना पत्र एवं उपविधियो के सम्बन्ध में निर्धारित लेखाशीर्षक (0425– सहकारिता– 800–अन्य प्राप्तियां –06– अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां) के अर्न्तगत राजकीय कोषागार /स्टेट बैंक में जमा शुल्क मु0 500.00 के चालान की प्रति ।
- निबन्धन प्रार्थना पत्र ।
- आर्गेनाईजर / इन्स्पेक्टर की रिर्पोट ।
- प्रतिमान उपविधियों की तीन प्रतियां ।
- जिला सहकारी बैंकं में जमा अंषधन की रसीद ।
- सदस्यो के फोटो एंव निवास का पहचान ।
- प्रस्तावित समिति के कार्यालय व अभिलेखों की व्यवस्था सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।
- प्रतिमान उपविधियो में निबन्धक द्वारा किये जाने वाले छोटे मोटे संषोधनो को किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित समिति के मुख्य प्रवर्तक का सहमति पत्र ।
- निबन्धन प्रमाण–पत्र उप निबन्धक, सहकारी समितियों द्वारा निर्गत किया जायेगा ।
-

(ब) उत्तराचंल स्वायत सहकारिता अधिनियम 2003 के अर्न्तगत :–

- सहकारिताओं के गठन/पंजीकरण हेतु कम सें कम 7 व्यक्तियों अथवा 2 सहकारिताओं का होना आवश्यक ।
- सहकारिताओं के संगठन हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के सहकारी पर्यवेक्षक/सहायक विकास अधिकारी (सह0) आर्गनाईजर होगें ।
- सहकारिता के पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्रादि उत्तराचंल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 की अनुसूची में उल्लिखित हैं ।
- अधिनियम की अनुसूची (ख) में निर्दिष्ट प्रपत्र पर संगम ज्ञापन एवं अनुसूची (च) में निर्दिष्ट संगम अनुच्छेद की तीन–तीन प्रतिलिपियां ।
- प्रार्थना–पत्र के साथ निर्धारित शुल्क ।

- राजकीय कोषागार / भारतीय स्टेट बैकं में लेखाशीर्षक (0425–सहकारिता –800– अन्य प्राप्तियां –06 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां) के अर्न्तगत निर्दिष्ट पंजीकरण शुल्क (न्यूनतम 500 / रू0 तथा अधिकतम 10,000 / रू0 या साम्य पूजी के 1 प्रतिषत के बराबर) जमा चालान की प्रति ।
- सदस्यों के फोटो एंव निवास का प्रमाण–पत्र ।
- सम्बन्धित तहसील के तहसील स्तर पर कार्यरत अपर जिला सहकारी अधिकारी अथवा राज्य के निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धन प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेगें ।

(स) परिवर्तित की जानी वाली सहकारिताओं का पंजीकरण–

- अधिनियम के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम के अर्न्तगत पूर्व पंजीकृत सहकारी समितियों को सहकारिताओं में परिवर्तित कर पंजीकरण किये जाने की भी व्यवस्था ।
- पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्न प्रपत्र निबन्धक, सहकारी समितियां ,उत्तराचंल को भेजे जायेगें ।
- सम्बन्धित सहकारी समिति के पदाधिकारियो / सदस्यों द्वारा अधिनियम की अनुसूची (घ) में निर्दिष्ट प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र एवं अनुसूची (च) मे निर्दिष्ट संगम अनुच्छेद तीन–तीन प्रतियों में।
- राजकीय कोषागार / भारतीय स्टेट बैंक में लेखा शीर्षक (0425–सहकारिता–800– अन्य प्राप्तियां –06– अन्य प्रकीर्ण प्राप्तिया) के अर्न्तगत निर्दिष्ट पंजीकरण शुल्क (न्युनतम 500 / – तथा अधिकतम 10000 / रू0 या साम्य पुजी के 1 प्रतिषत के बराबर) जमा चालान की प्रति ।
- प्रस्तावित सहकारी समिति के पदाधिकारियों के फोटो एंव निवास का प्रमाण–पत्र ।
- निबन्धन हेतु प्रपत्र विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (सह0) के स्तर से जिला सहायक निबन्धक के माध्यम से निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड को प्रेषित किये जायेगें

सहकारी समितियो में निर्वाचन

सहकारी समितियों द्वारा किये जाने वाले कार्य–

- प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के कार्यकाल समाप्त होनें की सूचना कार्यकाल की समाप्ति के 4 माह पूर्व निबन्धक को प्रेषित करना ।
- प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्रों के अवधारण हेतु समिति की सदस्यता, राजस्व क्षेत्र आदि का विवरण निबन्धक को भेजना ।
- 4 माह पूर्व की सदस्यता सूची ।
- निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली मतदाता सूची तैयार करना ।
- निर्वाचन अधिकारी के साथ आवष्यक निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता सुनिष्चित करना ।
- निर्वाचन अधिकारी के निर्देषानुसार निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाषन आदि सम्पादित करना ।
- समयान्तर्गत निर्वाचन परिणामों की सूचना निबन्धक को भेजना ।

जिला सहायक निबन्धक तथा उप निबन्धक / निबन्धक के स्तर पर किये जाने वाले कार्य–

- निर्वाचन तिथि का निर्धारण (निबन्धक/निर्वाचन प्राधिकारण के स्तर पर)
- नियमानुसार निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण एंव उनका प्रकाषन ।
- निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करवाना ।
- निर्वाचन सामग्री की आपूर्ति सुनिष्चित कराना ।

निर्वाचन के स्तर

प्रारम्भिक समितियों में संचालक मण्ड़ल का गठन

- संचालक मण्ड़ल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन
- अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन
- महिला अनु0जाति/जन जाति हेतु पद आरक्षित

केन्द्रीय समिति

- प्रारम्भिक सदस्य समितियों से नामित सदस्यों द्वारा सामान्य निकाय का गठन एंव मतदाता सूची ।
- सामान्य निकाय के सदस्यों से संचालक मण्ड़ल का गठन
- संचालक मण्ड़ल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन
- अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन
- महिला अनु0जाति/जन जाति हेतु पद आरक्षित

शीर्ष समितियां

- सदस्य समितियों से नामित सदस्यों द्वारा सामान्य निकाय का गठन एंव मतदाता सूची ।
- सामान्य निकाय के सदस्यों से संचालक मण्ड़ल का गठन
- संचालक मण्ड़ल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन
- अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन
- महिला अनु0जाति/जन जाति हेतु पद आरक्षित